

।। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौडी गढ़वाल ।।

संख्या: 62 / 5-1-आब/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन-2017-18/पौडी दिनांक: अप्रैल 21, 2017


सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जनपद पौडी की निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन पूर्ण राजस्व पर नहीं हो पाया है :-

क्र०सं०	दुकान का नाम	माह अप्रैल 2017 हेतु निर्धारित राजस्व		
		कुल राजस्व	लाईसेंस फीस	अधिभार
1	पाटीसैण	892132	71333	820799
2	कोटद्वार	9156742	732500	8424242
3	चैलुसैण	708702	56667	652035
4	बैजरौ	1303210	104250	1198960
5	जडाउखांद	1059163	84750	974413
6	दिगोलीखाल	319493	25583	293910
7	पावौ	2396855	191750	2205105
8	सबदरखाल	847860	67833	780027
9	बूंगीधार	884622	70750	813872
10	खिसू	794074	63500	730574
11	अगरोड़ा	452810	36250	416560
12	सिलोगी	738830	59083	679746
13	श्रीनगर	10552702	844250	9708452

उपरोक्त विदेशी मदिरा दुकानों को दैनिक आधार पर चलाये जाने हेतु इच्छुक आवेदक जिला आबकारी अधिकारी, पौडी गढ़वाल के कार्यालय में पूर्ण राजस्व पर आवेदन या अधिकतम राजस्व पर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जो कि प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर किया जायेगा। आवेदक मा० उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशों के अनुसार दुकान परिसर की व्यवस्था स्वयं करेगा।

नियम एवं शर्तें पूर्व प्रकाशित सार्वजनिक विज्ञप्ति संख्या-14/ 5-1-आब/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन-2017-18/पौडी दिनांक: 4 अप्रैल 2017 के अनुसार रहेगी जो वेबसाइट pauri.nic.in पर उपलब्ध है।


जिला आबकारी अधिकारी,
पौडी गढ़वाल।